



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में घर में घुसकर छेड़छाड़ व बलात्कार का प्रयास के आरोपी राजा को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास व 3000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2022 में अभियुक्त राजा पुत्र यशपाल निवासी धनौरा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत द्वारा घर में घुस कर छेड़छाड़ करना व बलात्कार के प्रयास की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 230/2022 धारा 452/354/354D/376/511/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 12.09.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पेशल जे पोक्सो एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त राजा को धारा 354/452/354D में दोषी पाते हुए 03 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में एनडीपीएस एक्ट के आरोपी हसन को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 10 माह का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि वर्ष 2017 में अभियुक्त हसन पुत्र मुनक्वर निवासी बरसिया थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा अवैध गांजा तस्करी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 151/2017 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 12.09.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-2 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त हसन को दोषी पाते हुए 10 माह के कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक-12.09.2025

थाना बडौत पुलिस, सर्विलांस सैल एवं स्वाट बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 592/25 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस में प्रकाश में आये हत्यारोपी 02 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ घायल अवस्था में किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा व 02 खोखा .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.09.25
को थाना बडौत पर
वादी श्री सुखपाल
पुत्र रामकिशन
निवासी मोहल्ला
किदवई नगर कस्बा व
थाना बडौत व मय
हमराही श्री अमरदीप



पुत्र कृष्णपाल सिंह निवासी ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त मोहन पुत्र नामालूम निवासी ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वादी के पुत्र सोनू उम्र करीब 30 वर्ष को घर से ले जाकर बावली नहर की पश्चमी पटरी मछली तालाब के पास जंगल ग्राम बावली में गोली मारकर हत्या कर दी गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 592/25 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

नोट:- उक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों 1.रोहित पुत्र रामप्रसाद 2.सोनू उर्फ काली बहू पुत्र विनोद निवासीगण खोब्बा पट्टी ग्राम बाबली थाना बडौत बागपत के नाम प्रकाश में आये हैं तथा धारा 3(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है।

कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस, सर्विलास सैल एवं स्वाट बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 592/25 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस में प्रकाश में आये हत्यारोपी 02 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा व 02 खोखा .315 बोर बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 597/25 धारा 109(1) बी.एन.एस व 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटनास्थल--- उक्त अभियुक्तों को दिनांक 12-09-2025 को समय 21.05 बजे बावली नहर से मलकपुर मिल मार्ग थाना बड़ौत से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1.रोहित पुत्र रामप्रसाद निवासी पट्टी खोब्बा ग्राम बावली थाना बड़ौत जनपद बागपत। (घायल)
- 2.सोनू उर्फ काली बहू पुत्र विनोद निवासी पट्टी खोब्बा ग्राम बावली थाना बड़ौत बागपत। (घायल)

बरामदगी का विवरण

- 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा व 02 खोखा .315 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त रोहित का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 592/25 धारा 103(1)/3(5) बी.एन.एस थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 597/25 धारा 109(1) बी.एन.एस व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना बड़ौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त सोनू उर्फ काली उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 372/23 धारा 307/323/498ए/506/504 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0सं0 592/25 धारा 103(1)/3(5) बी.एन.एस थाना बड़ौत जनपद बागपत
- 3-मु0अ0सं0 597/25 धारा 109(1) बी.एन.एस व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना बड़ौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री मनोज कुमार चाहल थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 2-निरीक्षक श्री तपेश्वर सागर प्रभारी स्वाट टीम जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री संजय सिंह प्रभारी सर्विलांस सैल बागपत मय टीम ।
- 4-उ0नि0 श्री सतीश कुमार स्वाट टीम जनपद बागपत।
- 5-उ0नि0 श्री निकलेश रस्तोगी थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 6-उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 7-उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 8-का0 301 मुलायम सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत
- 9-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 10-है0का0 358 बन्टी रावल थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 11-है0का0 661 ललित कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 12-है0का0 542 अशोक कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 13-है0का0 813 प्रदीप कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 12.09.2025

थाना बड़ौत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बड़ौत पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सुन्दर पुत्र ब्रह्मपाल निवासी ग्राम ग्वालीखेड़ी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-पवन कुमार पुत्र श्री नैम चन्द निवासी बड़ा जैन मन्दिर के पास पट्टी बारु कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 3-सुबोध पुत्र जगवीर सिंह निवासी पंचमुखी मन्दिर के सामने कोताना रोड कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 4-शहजाद पुत्र रफीक निवासी मौ0 पठानकोट निकट गुराना रोड कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 678 योगेन्द्र कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 402 रविन्द्र भाटी थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

- 4-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
5-है0का0 65 महिपाल सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
6-का0 1058 शरद यादव थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
7-उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
8-है0का0 621 रवि कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
9-का0 989 ललित कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत दिनांक 12.09.2025

बागपत पुलिस ने 16 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 16 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-महिपाल पुत्र भूरु सिंह निवासी ग्राम पलडी थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-देवेन्द्र पुत्र रामपाल निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-हामिद पुत्र खालिद निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4-माजिद पुत्र खालिद निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 5-गुलजार पुत्र खालिद निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 6-आलम पुत्र खालिद निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।



- 7-सत्यपाल पुत्र होराम निवासी ग्राम गोठरा थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 8-रवि पुत्र नरेश निवासी ग्राम डालूहेडा थाना जानी जनपद मेरठ ।
- 9-सोनू पुत्र नरेशपाल निवासी चान्दनहेडी कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 10-मोनू उर्फ आलू पुत्र राजकुमार निवासी कस्बा बिनौली थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 11-देवेन्द्र पुत्र मेघराज निवासी ग्राम आरिफपुर खेडी थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 12-नीरज पुत्र रमेश निवासी ग्राम शाहपुर बाणगंगा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 13-भीम सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 14-रहीश पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम जहानगढ उर्फ दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत।
- 15-रूपक पुत्र महीपाल निवासी ग्राम फतेहपुर पुड्डी थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 16-दीपक पुत्र महीपाल निवासी ग्राम फतेहपुर पुड्डी थाना बिनौली जनपद बागपत ।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थाना दोघट पुलिस टीम । (02 वारंटी)
- 2-थाना खेकडा पुलिस टीम । (05 वारंटी)
- 3-थाना बालैनी पुलिस टीम । (01 वारंटी)
- 4-थाना छपरौली पुलिस टीम । (01 वारंटी)
- 5-थाना बिनौली पुलिस टीम । (07 वारंटी)

